पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029
दूरभाष: 011-40717900, www.pfrda.org.in

रिक्ति अधिसूचना

प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के अंतर्गत **संविदा आधार पर लोकपाल** की नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लोकपाल वर्तमान में उपरोक्त पते पर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय से ही कार्य करेंगे। लोकपाल से उपर्युक्त विनियम में यथानिर्धारित रीति के अंतर्गत अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन करना अपेक्षित है वह पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिदाताओं की ओर से प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राप्त करेगा, उनपर विचार करेगा और उनके निपटान की व्यवस्था करेगा।

पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, दिए जाने वाले पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों आदि का विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर दिया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जून, 2026 है ।

उप महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029
दूरभाष: 011-40717900, www.pfrda.org.in

संविदा आधार पर लोकपाल की नियुक्ति हेतु रिक्ति अधिसूचना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक विनियामक निकाय है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास एवं विनियमन करना है। 31.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 9 करोड़ अभिदाता पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक ऐसी अनोखी संरचना है जिसके तहत पेंशन निधियों, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, अभिरक्षक आदि जैसे विभिन्न मध्यवर्तियों की व्यावसायिक क्षमताओं का उपयोग कुशलतापूर्वक और काम लागत के साथ सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है । इसी प्रकार, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के नोडल कार्यालय, बैंक, एमएफआई संस्थाएं आदि वर्तमान में ग्राहकों के लिए इंटरफेस प्रदान कर रहे हैं। एनपीएस के अभिदाता सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों से हैं, जिसमें असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति भी शामिल हैं ।

प्राधिकरण पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार **संविदा आधार पर एक लोकपाल** नियुक्त करना चाहता है, जो उपर्युक्त विनियमों के दायरे में आने वाले सभी शिकायतों आदि को प्राप्त करेगा, उनपर विचार करेगा और उनके निराकरण की व्यवस्था करेगा। उपर्युक्त विनियमों की प्रतिलिपि पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है।

लोकपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव तथा नियुक्ति की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:

1. अर्हताएं - लोकपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति:

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) उच्च नैतिक सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति हो;

(ग) पैंतालीस वर्ष से कम आयु का न हो; और

(घ) या तो:

(i) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हो अथवा जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो; या

(ii) उसके पास किसी विनियामक निकाय में विनियामक कार्यों के निर्वहन का कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो;

(iii) विधि, वित्त, कॉर्पोरेट मामले, अर्थशास्त्र, प्रबंधन या प्रशासन का विशेष जानकारी हो और इन क्षेत्रों में कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो ।

2. अयोग्यताएं - कोई व्यक्ति लोकपाल का पद धारण करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह:

(i) एक घोषित दिवालिया हो;

(ii) नैतिक भ्रष्टाचार से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी करार दिया गया हो;

(iii) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति घोषित किया गया हो;

(iv) आर्थिक अपराधों सहित किसी भी अपराध के लिए आरोप-पत्र साबित किया गया हो; या

(v) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत किसी मध्यवर्ती के कार्यालय में पूर्णकालिक निदेशक के पद कार्य किया हो और ऐसे निदेशक के रूप में पद से हटने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि अभी व्यतीत नहीं हुई हो।

3. पारिश्रमिक-

लोकपाल को लागू करों की कटौती के अध्यधीन समेकित रूप से ₹ 2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रुपये मात्र) का नियत मासिक भुगतान किया जाएगा। लोकपाल से अपेक्षित है कि वह सप्ताह में कम से कम 3 (तीन) दिन कार्य करे। यदि मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण उसे सप्ताह में 3 दिन से अधिक कार्यालय आना पड़ता है, तो उसके लिए उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। लोकपाल को पीएफआरडीए में सामान्य रूप से लागू कार्य अवधि में कार्य करना होगा। उपर्युक्त उल्लिखित भुगतान के अलावा लोकपाल को कोई अतिरिक्त शुल्क/भत्ता नहीं दिया जाएगा।

प्राधिकरण के पास शिकायतों की संख्या और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त पारिश्रमिक/मानदेय को संशोधित करने का अधिकार होगा।

4. संविदा की अवधि - लोकपाल के रूप में नियुक्ति की अविधि तीन वर्षों की होगी। परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लोकपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकेगा। किसी भी पक्ष द्वारा तीन (3) महीने का नोटिस देकर लोकपाल की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। इस व्यवस्था/नियुक्ति की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष पूरा होने पर की जाएगी।

पीएफआरडीए द्वारा उचित समझे जाने पर किसी भी चरण के दौरान बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को रद्द/समाप्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास है।

5. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र - लोकपाल प्राधिकरण द्वारा आदेश के माध्यम से विनिदिष्ट क्षेत्र के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करेगा।

6. कार्यालय का स्थान-

(क) लोकपाल का कार्यालय दिल्ली में प्राधिकरण के मुख्यालय में होगा ।

(ख) प्राधिकरण लोकपाल द्वारा कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाएं उपलबध कराएगा।

7. लोकपाल की सामान्य शक्तियां और कार्य- लोकपाल के निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी:

(क) पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार किसी भी मध्यवर्ती या संस्था के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करना, ऐसी शिकायतों पर विचार करना और सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा उनके निराकरण में सहायता करना;

(ख) पक्षों के बीच विवाद के मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण समझौते को मंज़ूरी देना;

(ग) मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता न होने की स्थिति में ऐसी शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना।

8. चयन प्रक्रिया - इच्छुक अभ्यर्थियों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 एवं उसमें अधिसूचित किए गए संशोधनों का संदर्भ लेंने का परामर्श दिया जाता है। व्यक्तिगत बातचीत/साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा । चयन समिति पात्र व्यक्तियों का एक पैनल तैयार कर सकती है, जिसमें से किसी एक व्यक्ति को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्राधिकरण एक या अधिक क्षेत्रों के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है।

किसी आवेदक के पास उसके आवेदन पर लोकपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विचार का अधिकार नहीं होगा और ऐसी नियुक्ति और उसकी निरंतरता प्राधिकरण के विवेकाधिकार एवं संतोष के आधार पर होगी। लोकपाल की नियुक्ति पूर्णत: संविदा आधारित होगी। लोकपाल को प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और न ही उसका प्राधिकरण के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होगा। विनियमों में उल्लिखित विशेषाधिकारों और दर्जे के अतिरिक्त लोकपाल के रूप में नियुक्ति होने से उसे कोई विशेषाधिकार या दर्जा प्राप्त नहीं होगा।

9. आवेदन कैसे करें:

(क) पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी केवल नीचे दिए हुए प्रारूप में अपना बायोडाटा एवं नीचे दी हुई घोषणा के रूप में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से भरकर नहीं भेजे गए आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ख) आवेदन की हार्ड कॉपी को डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर 10 जून, 2026 तक भेजा जा सकता है (आवेदन 10 जून, 2026 तक पहुँच जाना चाहिए), और लिफाफे पर 'संविदा आधार पर लोकपाल की नियुक्ति हेतु आवेदन' लिखा होना चाहिए।

श्रीमती भावना मल्होत्रा
उप महाप्रबंधक
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

10. सामान्य निर्देश:

- पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपरोक्त पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता हो तथा दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही हो। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता और/या उसने कोई गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत की है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, तो उसका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। यदि नियुक्ति के बाद भी उपरोक्त किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो संविदा आधार पर की गई उसकी नियुक्ति को बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।
- विज्ञापन के संबंध में मात्र आवेदन प्रस्तुत करने और विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना से, किसी भी आवेदक के पास साक्षात्कार के लिए उसे आमंत्रित किये जाने अधिकार नहीं होगा।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.05.2026

उप महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

फोन: 011- 40717900,www.pfrda.org.in

संविदा आधार पर लोकपाल के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1.पूरा नाम	प्रथम नाम														
	मध्य नाम														
(बड़े अक्षरों में)	अंतिम नाम														

2. पिता का नाम									बॉक्स में फोटो चिपकाएं और उस पर हस्ताक्षर करें
3. लिंग (जहाँ लागू हो √ करें):	पु.			म.					
4. जन्म तिथि	दिन		माह		वर्ष				
5. 31.03.2026 तिथि पर आयु			वर्ष			माह			

6. श्रेणी अर्थात सामान्य / ओबीसी / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी (जहाँ लागू हो √ करें):	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी	पीडब्ल्यूडी

7. 31.03.2026 तक कार्य अनुभव का विवरण

नियोक्ता का नाम और पता	**पदनाम एवं कार्य क्षेत्र**	**अवधि**	
		वर्ष	माह

8. 31.03.2026 तक शैक्षणिक योग्यता

अर्हता	परीक्षा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विश्वविद्यालय / संस्थान
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
कोई अन्य			

9. पत्र व्यवहार का पता (केवल बड़े अक्षरों में)

मकान सं./फ्लैट नं. :	ई-मेल :
मोहल्ला/ क्षेत्र :	टेलिफोन :
शहर :	मोबाईल:
	एसटीडी कोड :
जिला : राज्य :	पिन कोड

आवेदक द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी:

उद्घोषणा

- मैंने पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 एवं उसके संशोधन संबंधी प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ और पूरी तरह समझ लिया है, जिसमें लोकपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों का उल्लेख किया गया है। मैं समझता/समझती हूं कि यदि ऐसा पाया जाता है कि मैं पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती हूँ तो लोकपाल के रूप में मेरी नियुक्ति रद्द की जा सकती है और/या प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य मेरी समझ और जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान :

तिथि : हस्ताक्षर

टिप्पणी : आवेदन के साथ आयु, योग्यता और अनुभव के प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए, और आवेदन पत्र के ऊपर दाहिने कोने पर नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाई जानी चाहिए।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
ई-500, 5वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029
फोन: 011- 40717900,www.pfrda.org.in

-

संविदा आधार पर लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में घोषणा

मैं, ________________________, पुत्र/पत्नी श्री ________________________, ने पीएफआरडीए में संविदा आधार पर लोकपाल के पद के लिए आवेदन किया है। पद हेतु अपने आवेदन के अतिरिक्त, मैं घोषणा करता/करती हूं:

- कि मैं एक घोषित दिवालिया नहीं हूं;
- कि मुझे नैतिक भ्रष्टाचार से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी करार नहीं दिया गया है;
- कि मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति घोषित नहीं किया गया है;
- कि मुझे आर्थिक अपराधों सहित किसी भी अपराध के लिए आरोप-पत्रित नहीं किया गया है; या
- कि मैंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत किसी मध्यवर्ती के कार्यालय में पूर्णकालिक निदेशक के पद कार्य नहीं किया है और ऐसे निदेशक के रूप में पद से हटने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि अभी व्यतीत नहीं हुई है।

ऊपर दी गई घोषणा सभी प्रकार से सही है। यदि मेरी नियुक्ति के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि मैंने कोई गलत/असत्य जानकारी प्रस्तुत की है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, तो मेरी संविदा नियुक्ति को बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर: ____________________________

नाम: ____________________________

पता: ____________________________

____

____

दूरभाष: __________
दिनांक: __________
स्थान: __________

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi - 110029
Ph: 011-40717900, www.pfrda.org.in

VACANCY NOTIFICATION

Applications are invited by the Authority from interested and eligible candidates for appointment of **One Ombudsman on contract basis** under Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015. The Ombudsman shall presently operate from the office of the Authority situated at the above address. Such Ombudsman is expected to discharge his/her powers and functions in the manner and as specified under the aforementioned Regulations and he/she shall receive, consider and facilitate resolution of complaints or grievances received from subscribers, covered under the provisions of the PFRDA Act, 2013.

The complete details of eligibility criteria, mode of selection, remuneration payable and terms of appointment etc. are available on PFRDA's website www.pfrda.org.in. The last date of receipt of application is **10th June, 2026**.

Deputy General Manager

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi - 110029
Ph: 011-40717900, www.pfrda.org.in

VACANCY NOTIFICATION FOR APPOINTMENT OF OMBUDSMAN ON CONTRACT BASIS

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) is a statutory regulatory body established under Section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 with the object to promote old age income security, develop and regulate pension sector in India. As on 31.03.2026, around 9 crores subscribers are registered under various schemes under National Pension System (NPS) architecture regulated/administered by PFRDA. National Pension System (NPS) has a unique architecture under which professional competencies of various intermediaries have been leveraged for efficient and cost effective service delivery, in the capacity of Pension Funds, Central Recordkeeping Agency, Trustee Bank, Custodian etc. Similarly, various Govt. Sector Nodal offices, Banks, MFIs etc. are presently providing customer interface. NPS subscriber base spans across all sectors and demographics covering many segments of population, including those in unorganised sector.

The Authority intends to appoint **One Ombudsman on contract basis** as per PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015, who shall receive, consider and facilitate resolution of complaints or grievances which fall within the ambit of the aforementioned Regulations. A copy of the said Regulations is available on PFRDA website at www.pfrda.org.in .

Details of the required qualification and experience along with terms and conditions for appointment of Ombudsman are given below:

1. Qualifications- In order to be appointed as an Ombudsman a person shall be
-
(a) a citizen of India;
(b) of high moral integrity;
(c) not below the age of forty-five years; and
(d) either-
(i) be a retired District Judge or qualified to be appointed as a District Judge; or
(ii) having at least ten years' experience of service in the discharge of regulatory functions in any regulatory body; or
(iii) having special knowledge and experience in law, finance, corporate matters, economics, management or administration for a period of not less than ten years.

2. Disqualifications- A person shall not be qualified to hold the office of the Ombudsman if he -
(i) is an un-discharged insolvent;
(ii) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
(iii) has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(iv) has been charge sheeted for any offence including economic offences; or

(v) has been a whole-time director in the office of an intermediary under the National Pension System or any other pension scheme regulated by the Authority and a period of at least three years has not elapsed from the date of his cessation as such director.

3. Remuneration-

The Ombudsman shall be entitled to a fixed monthly payment of Rs.2,16,000/- (Rupees Two Lakh Sixteen Thousand only) on a consolidated basis, subject to deduction of taxes applicable and shall be required to work for at least 3 (three) days in a week. Even in case, if he/she is required to attend office for more than 3 days in a week due to increase in number of cases, no additional payment shall be admissible to him. The working hours of the Ombudsman shall be the usual working hours as applicable in PFRDA. No additional fee/allowance shall be permissible to the Ombudsman over and above the entitlement as mentioned above.

The Authority reserves the right to revise the remuneration/honorarium as provided above having regard to the number and nature of complaints.

4. Tenure of contract- A person appointed as a Ombudsman shall hold office for a period of three years. Provided that no person shall hold the office of an Ombudsman after attaining the age of seventy years. The services of Ombudsman can be terminated after giving three (3) months' notice from either side. The arrangement/appointment would be reviewed by the Authority on completion of one year.

PFRDA reserves the right to cancel/terminate the exercise at any stage as may be considered appropriate by the Authority without assigning any reason.

5. Territorial jurisdiction- The Ombudsman shall exercise jurisdiction in relation to an area as may be specified by the Authority by an order.

6. Location of Office- (a) The Office of Ombudsman shall be located at the head office of the Authority at Delhi.

(b) The Authority shall provide the necessary infrastructure for discharge of functions by the Ombudsman.

7. General Powers and Functions of Ombudsman-The Ombudsman shall have the following powers and functions to-

(a) receive complaints as specified in PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 against any intermediary or entity and to consider such complaints and facilitate resolution thereof by amicable settlement;

(b) approve a friendly or amicable settlement of the dispute between the parties;

(c) adjudicate such complaints in the event of failure of settlement thereof by friendly or amicable manner.

8. Selection Procedure- Interested candidates are advised to refer to the provisions of the PFRDA Act, 2013 and the PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 and amendments thereto notified by the Authority, which are available on the website of the Authority. The selection will be made on the basis of personal interaction/interview. The selection committee may

prepare a panel of eligible persons, out of which a person may be appointed as an Ombudsman. The Authority may appoint one or more persons to act as Ombudsman for one or more territories.

There shall be no vested right in any applicant to be considered for appointment as Ombudsman and such appointment and continuance shall be at the discretion and pleasure of the Authority. The appointment of the Ombudsman shall be purely on contract basis. The Ombudsman shall not be deemed to be an employee of the Authority or shall not have any relationship of any nature with the Authority. Appointment of Ombudsman shall not confer any special privilege or status, other than those mentioned in the Regulations.

9. HOW TO APPLY:

(a) Candidates who satisfy the eligibility norms may apply giving their bio data strictly in the format and declaration given below. No application shall be entertained beyond the stipulated date. Incomplete applications will be rejected.

(b) Hard copy of the application should be sent by post in a cover superscribing 'Application for appointment of Ombudsman on contract basis' to the following address so as to reach **latest by 10th June, 2026**.

Smt. Bhawna Malhotra
Deputy General Manager
Pension Fund Regulatory and Development Authority
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar
New Delhi - 110029

10. GENERAL INSTRUCTIONS:

- While applying for the post, the applicant should ensure that he/she fulfills the eligibility and other norms mentioned above and that the particulars furnished are correct in all respect. In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information or has suppressed any material fact(s), his/her candidature will automatically stand cancelled. If any of the above shortcoming(s) is/are detected even after appointment, his/her contractual appointment is liable to be terminated without any notice.
- Mere submission of application against the advertisement and apparently fulfilling the criteria as prescribed in the advertisement would not bestow on an applicant the right to be called for interview.

Place: New Delhi

Dated: 21.05.2026

Deputy General Manager

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi - 110029
Ph: 011-40717900, www.pfrda.org.in

APPLICATION FOR APPOINTMENT AS OMBUDSMAN ON CONTRACT BASIS

1. Name in full (In CAPITAL LETTERS)	First Name									
	Middle Name									
	Last Name									
2. Father's Name										Paste Photograph in the box alongside and sign across it
3. Sex (Please √ wherever applicable)	M		F							
4. Date of Birth	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y		
5. Age as on 31.03.2026		Years		Months						

6. Category, i.e. General/ SC/ST/ OBC/PH (Please √ wherever applicable)	General	OBC	SC	ST	PWD

7. Details of Work Experience as on 31.03.2026

Employer Name & address	**Designation including area of work**	**Period / Duration**	
		Years	Months

8. Academic Qualification as on 31.03.2026

Qualification	Examination	Year of Passing	University/ Institute
Graduation			
Post-Graduation			
Any Other			

9. Postal Address (English – in capital letters only)

Door no/Flat no:		E Mail
Locality:		Telephone:
City		Mobile:
		STD Code:
District	State:	Pin Code:

Any other information considered relevant by the applicant:

<u>Declaration</u>

- I have carefully gone through and have fully understood the provisions of PFRDA (Redressal of subscriber Grievance) Regulations, 2015 and amendments thereto including the conditions of eligibility prescribed thereunder for appointment as Ombudsman. I understand that my appointment as Ombudsman is liable to be cancelled/ dispensed with at any time, if it is found that I do not satisfy the eligibility criteria and/or the Authority may dispense with my services at any time, without assigning any reasons.
- That the facts stated above are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Date: Signature:

Note: Applications should be accompanied by self-attested copies of certificates in support of age, qualifications & experience, with a recent passport size photograph glued to the top right-hand corner of the application form.

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
E-500, 5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi - 110029
Ph: 011-40717900, www.pfrda.org.in

DECLARATION FOR APPOINTMENT AS OMBUDSMAN ON CONTRACT BASIS

I,..,
S/o./W/o……………………………………….., have applied for the post of Ombudsman on contract basis in PFRDA. Further to my application for the post, I declare:

i. that I am not an un-discharged insolvent;
ii. that I have not been convicted of an offence involving moral turpitude;
iii. that I have not been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court;
iv. that I have not been charge sheeted for any offence including economic offences; or
v. that I have not been a whole-time director in the office of an intermediary under the National Pension System or any other pension scheme regulated by the Authority and a period of at least three years has not elapsed from the date of his cessation as such director.

The declaration furnished above is correct in all respect. In case it is detected at any stage of my appointment that I have furnished any incorrect/false information or have suppressed any material fact(s), my contractual appointment is liable to be terminated without any notice.

Signature: ………………………………

Name: …………………………………

Address: …………………………………..

………………………………

…………………………………………………………………………..

Phone: …………………………………

Date: ....

Place: ....